न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 73/2018 अपील

श्री भैरू पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी नौगांवा नायब तहसील ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार ढिकोला प्रकरण सं. 02/2018 निर्णय दिनांक 10.07.2018 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

श्री बी.एल.वैष्णव अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 06.05.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार ढीकोला प्रकरण सं0 02/2018 निर्णय दिनांक 10.07.2018 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को ग्राम नोगांवा पटवार मण्डल ढीकोला की आराजी नम्बर 978/254 रकबा 0.16 हैक्ट. किस्म बीड पर अतिक्रमी मानते हुए 03 माह का सिविल कारावास एवं 50/–रूपये शास्ती से दण्डित किया है विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान नही लिये। पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट मनमकसूद तरीके से बिना अपीलार्थी की जानकारी व मौजदूगी में बनायी गयी। उक्त आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का कब्जा नही है। अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नही दिया गया। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजसिरे से निर्णय कराने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करायी जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.07.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को ग्राम नोगांवा पटवार मण्डल ढीकोला की आराजी नम्बर 978/254 रकबा 0.16 हैक्ट. किस्म बीड पर अतिक्रमी मानते हुए 03 माह का सिविल

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

कारावास एवं 50/—रूपये शास्ती से दण्डित किया है विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान नही लिये। पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट मनमकसूद तरीके से बिना अपीलार्थी की जानकारी व मौजदूगी में बनायी गयी। उक्त आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का कब्जा नही है। अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नही दिया गया। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजसिरे से निर्णय कराने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करायी जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि भैरू पिता धन्ना गुर्जर निवासी नौगांवा के द्वारा ग्राम नौगांवा की बिलानाम आराजी नम्बर 978/254 किस्म बीड़ भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नायब तहसीलदार ढीकोला द्वारा प्रकरण सं. 02/2018 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर भैरू पिता धन्ना गुर्जर द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 50/—रू. से दिनांक 10.07.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर नायब तहसीलदार ढीकोला का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम नौगांवा की बिलानाम आराजी नम्बर 978/254 किस्म बीड़ दर्ज रिकार्ड है। नायब तहसीलदार ढीकोला के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 978/254 रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 50/— शास्ति आरोपित की गयी। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नोगांवा पटवार मण्डल आराजी नं0 978/254 रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 50/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ। जो अतिक्रमी के स्वेच्छाचारी प्रवृति को दर्शाता है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है। ग्राम नोगांवा के आराजी नं. 978/254 बिलानाम आरक्षित है जो नियमन योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार ढीकोला प्रकरण सं0 02/2018 निर्णय दिनांक 10.07.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला का निर्णय दिनांक 10.07.2018 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)